न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास खैरथल–तिजारा (राज0)

अध्यापितः– मनीष कुमार जाटव आर0ए0एस

दावा सं0	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
179/23	30.10.2023	15/07/25

उनवान

1. बलवान सिंह पुत्र चन्दर जाति जाट निवासी बम्बोरा तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा।

–वादी

बनाम

1 राज० सरकार जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर किशनगढबास जिला अलवर हाल खैरथल–तिजारा राज०।
2 उदयसिंह पुत्र राजपाल जाति जाट।
3 ननुपाल पुत्र राजपाल जाति जाट।
4 मीना देवी पुत्री राजपाल जाति जाट।
5 शकुन्तला पत्नी स्व. राजपाल जाति जाट।
6 हरिसिंह पुत्र चन्दगी जाति जाट।

–प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक, इन्द्राज दुरूस्ती मय हुक्मइस्तनाई दवामी जेर दफा 88, 89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितिः–
1. वादी की ओर से श्री परमानन्द शर्मा वकील।
2. प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से जवाब पैरोकार सरकार एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 की एक पक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

दावा वादी द्वारा इस प्रकार पेश किया गया –

आराजी खसरा नम्बर हाल 900 रकबा 0.0500 हे0 गैर मुमकीन रास्ता 902 रकबा 0.0600 हे0, 988 रकबा 0.1300 हे., 901 रकबा 0.33 हे0 कुल किता 4 जिसके साबिक नम्बर 627 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा ग्राम बम्बोरा तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा राज0 से बने है। जिसमें से आराजी खसरा नम्बर 900 रकबा 0.0500 हे0 गैर मुमकीन रास्ता राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत् 2075 लगायत 2078 में अंकित हो रहा है। जो आराजी उक्त वाद में आगे विवादित आराजी कहलायेगी।

साबिक खसरा नम्बर 697 रकबा 12 बिस्वा के नये नम्बर 988 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 1000 रकबा 1 बिस्वा 798/1965 के 1 बिस्वा बने है। प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबन्दी हाल, मिलान क्षेत्रफल, नक्शा ट्रेस, वो साबिक जमाबन्दी संवत् 2023 वाके मौजा बम्बोरा तहसील किशनगढबास वाद के साथ पेश है।

नक्शा ट्रेस वाके मोजा बम्बोरा में साबिक खसरा नम्बर 627 में कोई गैर मुमकीन रास्ता नहीं है, सैटिलमेन्ट हाल से पूर्व जमाबन्दी संवत् 2023 में कोई भी गैर मुगकीन रास्ता का इन्द्राज नहीं है। परन्तु सेटिलमेन्ट विभाग ने नये नये नम्बरान जो साबिक खसरा नम्बर 627 से 900,901,902 कायम किये गये है उसमे खसरा नम्बर 900 रकबा 0.0500 हे वाके मौजा बम्बोरा को गलती से गैर मुमकीन

Scanned with OKEN Scanner

रास्ता कायम कर दिया। जो खिलाफ मौका व खिलाफ रिकॉर्ड है। कानूनन सेटिलमेन्ट विभाग को इस तरह से नया परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है। उपरोक्त सेटिलमेन्ट विभागन द्वारा किये गये गलत इन्द्राज जो खसरा नम्बर 900 रकबा 0.0500 हे. में गैर मुमकीन रास्ता कायम किया वो दुरूस्त किया जाकर खसरा नम्बर हाल 900 रकबा 0.0500 हे0 वाके ग्राम बम्बोरा पूर्णतः वादी की खातेदारी वो कब्जा काश्त, खातेदार राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दीयात 2029 से ताहाल में खसरा नम्बर हाल 900 रकबा 0.0500 हे. वाके ग्राम बम्बोरा में अकन किया जावे। वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। वो खसरा नम्बर हाल 900 रकबा 0.0500 हे. वाके बम्बोरा में आये गैर मुमकीन रास्ता को कलमजन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे। तथा वादी को खसरा नम्बर 900 रकबा 0.0500 हे. वाके बम्बोरा का खातेदार घोषित किया जावे।

वादी खसरा नम्बर हाल 900 रकबा 0.0500 हे वाके ग्राम बम्बोरा का आज भी खातेदार काश्तकार है। मौके पर फसल बोई जाती रही है। कभी गैर मुमकीन रास्ता के रूप में कभी भी उपयोग उपभोग मे नही रहा। मौके पर राजस्व रिकॉर्ड हाल खसरा नम्बर 900 रकबा 0.0500 में मौके पर कभी रास्ता कायम नहीं रहा।

उदयसिंह पुत्र राजपाल हिस्सा 1/16, मनुपाल पुत्र राजपाल हिस्सा 1/16, मीना पुत्री राजपाल हिस्सा 1/16, शकुन्तला बेवा राजपाल हिस्सा1/16, हरिसिंह पुत्र चन्दगी हिस्सा 1/4 हिस्सा जाति जाट साकिन देह खातेदार का राजस्व रिकॉर्ड में अकन होने के कारण उनको कानूनन पक्षकार बनाया जा रहा है। अलबत्ता उनके खिलाफ अनुतोष नहीं चाहा गया है क्योंकि उपरोक्त समस्त आराजी बाहमी बंटवारे मे सन् 1975 से वादी के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस पर वादी शातिपूर्वक काबिज रह कर प्रवितादीगण 2 लगायत 6 की सहमति से काश्त कर रहा है। मात्र जो गलत इन्द्राज सेटिलमेन्ट विभाग द्वारा खसरा नम्बर हाल 900 रकबा 0.0500 हे. वाके ग्राम बम्बोरा में गैर मुमकीन रास्ता का किया है। वादी उपरोक्त गैर मुमकीन रास्ता को कलमजन कराने का अधिकारी है। मौजूदा वाद बाबत् दुरूस्ती इन्द्राज पेश किया जा रहा है।

वाद के हक वो अधिकार कानून द्वारा रक्षित है। अतः अपने अधिकारी की रक्षा के लिए वाद पेश है। प्रतिवादी संख्या 1 जो कि सरकारी कर्मचारी अधिकारी है जिसे धारा 80 जा0दी0 का नोटिस दिया जाना आवश्यक है परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने मिन वादी को गलत इन्द्राज के आधार पर दीगर लोगों को आवंटन करने की धमकी दी है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 को बिना नोटिस दिये ही वाद दायर किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र धारा 80(2) जा.दी. अलग से पेश किया जा रहा है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को जमाबन्दी संवत् 2023 के आधार पर हाल जमाबन्दी में गैर मुमकीन रास्ता दिनांक 3.10.2023 को दुरूस्त करने को कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 ने साफ इन्कार कर दिया वो वादी को एलानिया तौर पर धमकी दी कि वो गलत इन्द्राज के आधार पर दींगर व्यक्ति को मुन्तकील करेगे। जो तारीख दावा हाजा के लिए बिनायदावी वो बिनायमुखासम है कि जिससे दावा अन्दर मियाद पेश है।

विवादित आराजी ग्राम बम्बोरा में अन्दर हदूद अदालत में स्थित है वो पक्षकारान भी अन्दर हदूर अदालत श्रीमान के वाशिन्दगान है। अतः दावा काबिल समाअत श्रीमान है।

अतः प्रार्थना है कि बाद तहकीकात वाद वादी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 निम्न प्रकार दादरसी फरमाई जावे :-

वादी आराजी हाल खसरा नम्बर 900 रकबा 0.0500 हे. वाके ग्राम बम्बोरा तहसील किशनगढबास हाल जमाबन्दी संवत् 2075 लगायत 2078 में गैर मुमकिन रास्ता का इन्द्राज हो रहा है। वो इन्द्राज खिलाफ कानून वो गलत राजस्व रिकॉर्ड हो रहा है। उक्त आराजी पर सन् 1975 से वादी काश्त करता चला आ रहा है फसल बोता व दरो करता आ रहा है काबिज वो दाखिल है। कभी गैर मुमकीन रास्ता मौके पर मौजूद नहीं रहा। गलत इन्द्राज उक्त आराजी में गैर मुमकीन रास्ता हो रहा है उसे वादी कलमजन कराने का अधिकारी है। कलमजन किया जावे वो वादी को खातेदार घोषित किया जावे।

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादी संख्या 1 को पाबन्द किया जावे कि वो आराजी उक्त को गलत इन्द्राज के आधार पर किसी को आवंटित नहीं करे।
खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादी संख्या 1 से दिलाया जावे। दादरसी जो बनजदीक अदालत मुनासिब हो बख्शी जावें।

दावा प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 06 की तामिल हो चुकी है, बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए। उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 तहसीलदार किशनगढबास की ओर से बिन्दुवार जवाब निम्न प्रकार प्रस्तुत हुआ :-

आराजी खसरा नम्बर 900 वाके ग्राम बम्बोरा उसकी काश्तकारी आराजी खसरा नम्बर 901, 902, 988 से लगता हुआ खसरा नम्बर है। जिसके वर्तमान किस्म गै.मु. रास्ता को पूर्व साबित रिकॉर्ड के अनुसार शुद्ध किया जावे।

ग्राम बम्बोरा के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार खसरा नम्बर 900 रकबा 0.05 हे. किस्म गै.मु. रास्ता खाता संख्या 739 में उदयसिंह, मनुपाल पुत्रान व मीना देवी पुत्री व शकुन्तला पत्नी राजपाल हि. 1/4, हरिसिंह पुत्र चन्द्रगी हि., 1/4 बलवान सिंह पुत्र चन्दर हि. 1/2 जाति जाट सा. देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है।

बम्बोरा के साबिक रिकॉर्ड की जाँच की गई। मिलान क्षेत्रफल के अनुसार खसरा नम्बर 900 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 901 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 902 रकबा 4 बिस्वा किता 3 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, साबिक खसरा नम्बर 627 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा से बने है। ग्राम बम्बोरा की बन्दोबस्त से पूर्व की जानकारी संवत् 2023 के खाता संख्या 25 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 627 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा किस्म म.अ. बारानी चन्दगी पुत्र गंगाराम बलवान पुत्र चन्दर सम्भाग सा.देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। परन्तु वर्तमान रिकॉर्ड में साबिक खसरा नम्बर 627 से बने खसरा नम्बर 900 की किस्म गै.मु. रास्ता, खसरा नम्बर 902 की किस्म चाही–2, 988 की किस्म चाही–2 खाता संख्या 739 में दर्ज है।

खसरा नम्बर 900 की मौका जाँच की गई। मौके पर खसरा नम्बर 900 रास्ते के खसरा नम्बर 987 व कुँऐ के खसरा नम्बर 898 के मध्य स्थित है। मौके पर 900 आराजी में कोई रास्ता नहीं पाया गया। तथा सरसों की काश्त की हुई पायी गई। मौके पर उक्त खसरा नम्बर 900 में कोई विवाद नही पाया गया। नजरी नक्शा संलग्न है।

बम्बोरा के राजस्व रिकॉर्ड के खाता नम्बर 739 के अनुसार खसरा नम्बर 900 पर आदिनांक तक किसी भी न्यायालय का स्थगन दर्ज नहीं है।

पत्रावली मे साक्ष्यवादी नियत की गई। वकील वादी द्वारा साक्ष्य में पीडब्ल्यू–1 बलबान सिंह पुत्र चन्दर जाति जाट, पी. डब्ल्यू–2 पूरन पुत्र बुधराम जाति जाट निवासी बम्बोरा द्वारा शपथ पत्र पेश किये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 हाल जमाबन्दी संवत् 2075–2078, प्रदर्श–2 मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श–3 नक्शा ट्रेस, प्रदर्श–4 जमाबन्दी संवत् 2023, प्रदर्श–5 जमाबन्दी संवत् 2023–2026, प्रदर्श–6 पुराना नक्शा पेश किया है। वकील वादी ने साक्ष्य बंद कर पत्रावली बहस में रखने का निवेदन किया।

वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया की विवादित आराजी हाल रिकार्ड में गैर मु0 रास्ता दर्ज की हो रही है जबकि विवादित आराजी पर किसी प्रकार का कच्चा या पक्का रास्ता निर्मित नहीं है अतः हाल राजस्व रिकार्ड को शुद्ध करते हुए वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

वकील वादी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अद्योपांत अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न हाल जमाबंदी संवत् 2075–2078 प्रदर्श–1 से साबित है कि आराज खसरा नम्बर 902 रकबा 0.0500 हे. किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज है। प्रदर्श–2 मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट है कि आराजी हाल खसरा नम्बरान 900, 901, 902 साबिक नम्बर 627 से पैमूद हुए है। प्रदर्श–4 जमाबन्दी संवत् 2033 से स्पष्ट है कि साबिक नम्बर 627 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा किस्म म.अ.बारानी चन्दगी पुत्र गंगाराम, बलवान पुत्र चन्दर सम्भाग साकिन देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। परन्तु वर्तमान रिकॉर्ड में साबिक खसरा नम्बर 627 से बने खसरा नम्बर 900 की किस्म गै.मु. रास्ता, खसरा नम्बर 901 की किस्म चाही–2, 902 की किस्म चाही–2 कमशः खाता संख्या 731 व खाता संख्या 739 में दर्ज है।

Scanned with OKEN Scanner

प्रदर्श–3 नक्शा हाल तथा प्रदर्श–6 नक्शा साबिक के अवलोकन से स्पष्ट है कि साबिक नक्शे में विवादित आराजी पर कोई रास्ता प्रदर्शित नहीं हो रहा है। तहसीलदार मौका रिपोर्ट के अनुसार मौके पर खसरा नम्बर 900 रास्ते के खसरा नम्बर 987 व कुंए के खसरा नम्बर 898 के मध्य में स्थित है। मौके पर 900 आराजी में कोई रास्ता नहीं पाया गया तथा मौके पर फसल काश्त की हुई है। तथा उक्त खसरा नम्बर के संबंध में कोई वाद–विवाद नहीं है। किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नही है। अतः पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात, साक्ष्य एवं तहसीलदार किशनगढबास रिपोर्ट से यह साबित है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 900 रकबा 0.0500 हे. किस्म गै.मु. रास्ता जो साबिक नम्बर 627 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा से पैमूद हुआ है, जिसे भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा गै.मु.रास्ता किस्म गलत दर्ज कर दी गई है जो हाल राजस्व रिकार्ड में निरन्तर चला आ रहा है जबकि मौके पर कभी कोई रास्ता नहीं रहा है ना ही हाल में कोई रास्ता निर्मित है तथा सैटलमेन्ट से पूर्व साबिक नम्बर 627 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा की किस्म म.अ. बारानी दर्ज है। अतः आराजी हाल खसरा नम्बर 900 रकबा 0.0500 हे. में अंकित किस्म गै.मु.रास्ता को म.अ.बारानी किया जाना न्यायोचित एवं न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि :–

वाद वादी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिकी किया जाकर तहसीलदार किशनगढबास को आदेशित किया जाता है कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 900 रकबा 0.0500 हे0 किस्म गै0मु0 रास्ता राजस्व ग्राम बम्बोरा तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा के हाल राजस्व रिकार्ड में अंकित किस्म गै0 मु0 रास्ता को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर किस्म मटियार अव्वल बारानी किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमिल दाखिल लेख भण्डार हो। सुनाया गया।

मनीष कुमार जाटव (RAS)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास खैरथल–तिजारा (राज0)

अध्यासितः– मनीष कुमार जाटव आर0ए0एस

दावा सं0	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
179/23	30.10.2023	15/07/25

उनवान

1. बलवान सिंह पुत्र चन्दर जाति जाट निवासी बम्बोरा तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा।
–वादी

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर किशनगढबास जिला अलवर हाल खैरथल–तिजारा राज0।
2. उदयसिंह पुत्र राजपाल जाति जाट।
3. मनुपाल पुत्र राजपाल जाति जाट।
4. मीना देवी पुत्री राजपाल जाति जाट।
5. शकुन्तला पत्नी स्व. राजपाल जाति जाट।
6. हरिसिंह पुत्र चन्दगी जाति जाट।

–प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक, इन्द्राज दुरूस्ती मय
हुक्मइस्तनाई दवामी जेर दफा 88, 89,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितिः–
1. वादी की ओर से श्री परमानन्द शर्मा वकील।
2. प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से जवाब पैरोकार सरकार एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 की एक पक्षीय कार्यवाही।

पर्चा डिक्री

वाद वादी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर तहसीलदार किशनगढबास को आदेशित किया जाता है कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 900 रकबा 0.0500 हे0 किस्म गै0मु0 रास्ता राजस्व ग्राम बम्बोरा तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा के हाल राजस्व रिकार्ड में अंकित किस्म गै0 मु0 रास्ता को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर किस्म मटियार अव्वल बारानी किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमिल दाखिल लेख भण्डार हो। सुनाया गया।

मनीष कुमार जाटव (RAS)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner